नीति--सार

मीडिया एवं सुरक्षाकरण --- एक परिचय

भारत भूषण

महानिर्बाण
कलकत्ता रिसर्च ग्रुप

जनवरी 2025

प्रकाशक --- महानिर्बाण कलकत्ता रिसर्च ग्रुप
आईए-48, सेक्टर-III, ग्राउंड फ्लोर
सॉल्ट लेक सिटी
कोलकाता- 700097
भारत
वेब- http://www.mcrg.ac.in/

मुद्रकः
ग्राफिक इमेज
न्यू मार्केट, न्यू कॉम्प्लेक्स
वेस्ट ब्लॉक
सेकेंड फ्लोर, रूम नं-115, कोलकाता-97

यह प्रकाशन द फंड फॉर ग्लोबल ह्यूमन राइटस् की आर्थिक सहायता से सम्पन्न हुआ है. प्रकाशन कलकत्ता रिसर्च ग्रुप के शोध-कार्यक्रम ``जस्टिस, सिक्युरिटी एंड वल्नेरेबल पॉपुलेशन्स ऑफ साऊथ एशिया`` का एक अंश है.

कोई चाहे तो मूल प्रकाशन का समुचित संदर्भ देते हुए इस प्रकाशन अथवा इसके किसी हिस्से का निशुल्क उपयोग कर सकता है.

मीडिया और सुरक्षाकरण: एक अवलोकन

परिचय :

- कोई मसला या परिघटना समाज के अस्तित्व के लिए खतरा है- जन-सामान्य के बीच बनी ऐसी धारणा को सुरक्षाकरण कहते हैं. अपवादस्वरूप युद्ध जैसी चरम स्थितियों को छोड़ दें तो कहा जा सकता है कि जनता जिसे सुरक्षा का मसला मानने लगती है, वह सुरक्षा का मुद्दा बन जाता है.

- सुरक्षा संबंधी ऐसी धारणा राजनीति-कर्मियों को वैधता प्रदान करती है कि वे किसी मसले को सुरक्षा का मुद्दा मानकर उससे निबटें और इससे संबंधित अपने पास उपलब्ध शासकीय उपकरणों का इस्तेमाल करें. ऐसी स्थिति में इन शासकीय उपकरणों को, राज-काज के ढांचे में बिना बदलाव किये, सुरक्षा पर उत्पन्न खतरे के खात्मे के सबसे कारगर तरीके के रूप में पेश किया जाता है.

मीडिया, किसी खास मसले को जन-सामान्य और राज-काज के अस्तित्वगत खतरे के रूप में पेश करने की अपनी भाषा और शिल्प के जरिये सुरक्षाकरण संबंधी जनता की धारणा को एक शक्ल देने में भूमिका निभाता है. यह मसला राजनीतिक और आर्थिक सुरक्षा से लेकर सांस्कृतिक एकरूपता और सामाजिक स्थिरता पर उत्पन्न खतरे तक कुछ भी हो सकता है.

- यह संक्षिप्त विवरण राज-काज के सुरक्षाकरण, सुरक्षा के पौरुषीकरण, मानवीय सुरक्षा के मसलों (जैसे, खाद्य-सुरक्षा, पर्यावरण और स्वास्थ्य सुरक्षा आदि) के लिए एक मंच के रूप में मीडिया और स्वयं मीडिया की सुरक्षा पर केंद्रित है.

मीडिया और राज-काज का सुरक्षाकरण

आधुनिक लोकतंत्र में किसी मसले का तबतक सुरक्षाकरण नहीं होता जबतक जन-सामान्य के बीच धारणा नहीं बन जाती कि वह मसला सुरक्षा के लिहाज से एक खतरा है. मीडिया ना सिर्फ मसले का वर्णन और विश्लेषण करने की अपनी प्रक्रिया के जरिए बल्कि विशेषज्ञों, जो किसी घटना या समस्या को सुरक्षा के मसले के रूप में पेश करते हैं, के मंतव्यों के उल्लेख के जरिये भी यह धारणा बनाने का काम करती है .1 मीडिया की सुर्खियां और तस्वीरों का सजग इस्तेमाल लोगों को एक खास तरीके से सोचने की ओर उन्मुख करता है.

किसी मसले के सुरक्षा संबंधी पहलू की तरफ उन्मुखीकरण होने से वह मसला एक ऐसे जोखिम के रूप में देखा जाने लगता है जिसका तत्काल शमन करना जरूरी है.2 जरूरी नहीं कि यह धारणा सिर्फ राष्ट्र की संप्रभुता को खतरे में डालने वाले सैन्य-टकराव की आशंका के बारे में हो.3

यह धारणा आप्रवासियों के बारे में हो सकती है कि आप्रवासी स्थानीय नौकरियां छीनकर आर्थिक सुरक्षा पर चोट कर रहे हों. युरोप में दक्षिणपंथी रुझान के राजनीतिक आंदोलनों और दलों का उभार इस धारणा से जुड़ा है कि मुसलमान आप्रवासियों से ईसाई बहुल युरोप की सांस्कृतिक एकरूपता को खतरा है. भारत में यह धारणा बनायी गई है कि देश के बहुसंख्यक हिन्दुओं को मुसलमान अल्पसंख्यकों से खतरा है. असम में जातीय राष्ट्रवादी राजनीति और दक्षिणपंथी हिन्दू राजनीति का उभार इस धारणा

के बनने से जुड़ा है कि असमी संस्कृति को भारत के बांग्लादेशी मुसलमान आप्रवासियों से खतरा है. श्रीलंका तथा म्यांमार में, यही बात बौद्ध संस्कृति को उत्पन्न खतरे की धारणा के बारे में कही जा सकती है.

मीडिया की बनायी सुरक्षाकरण संबंधी धारणा एक जटिल मसले का अस्तित्वगत खतरे के रूप में सरलीकरण करती है जिसे समझना आसान होता है. संरचनागत जटिल वास्तविकता का मसला एक बार सुरक्षा के मुद्दे में तब्दील हो जाये तो फिर राजनीति-कर्मियों के लिए राह निकल आती है कि वे आगे आयें और बतायें कि सिर्फ उन्हीं के पास मुद्दे के समाधान में सक्षम नीतिगत उपाय और उपकरण हैं.4

इस धारणा के निर्माण में मीडिया का या तो राजनीति-कर्मियों के हाथो इस्तेमाल किया जाता है या फिर मीडिया खुद ही सुरक्षाकरण का एक कारक बन जाता है.5

मिसाल के लिए,.बांग्लादेशी आप्रवासियों के बारे में बनी यह धारणा कि वे स्थानीय भारतीय नागरिकों का वाजिब हक छीन रहे हैं 6 इस धारणा का निर्माण कमो-बेश, चुनावी फायदों के मकसद से मीडिया का राजनीति-कर्मियों के हाथो इस्तेमाल के जरिये हुआ है. भारतीय गृहमंत्री ने तो आप्रवासियों को ``दीमक`` की संज्ञा दी.7.

दक्षिणपंथी हिन्दू राजनेताओं पर भी यह बात लागू होती है जो रोहिंग्या आप्रवासियों को मुसलमान होने के कारण संभावित आतंकवादी बतलाते हैं.8

बहरहाल, मीडिया अक्सर स्वेच्छा से सुरक्षाकरण का एक कारक बन जाता है.

- मीडिया पर जब अंध-राष्ट्रीयता दिखाने या कट्टर राष्ट्रवादी होने का दबाव बढ़ता है तो मीडिया अक्सर स्वेच्छा से ही सुरक्षाकरण के एक कारक के रूप में भूमिका निभाने लगता है.

- जरूरी नहीं कि युद्ध किसी दुश्मन देश के खिलाफ हो बल्कि युद्ध पहचाने जा सकने वाले किसी शत्रु के विरूद्ध भी हो सकता है जैसे `आतंकवाद के खिलाफ युद्ध` जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने 11 सितंबर 2001 की घटना के बाद आतंकवाद-रोधी वैश्विक अभियान के रूप में शुरू किया.

भारतीय मीडिया का सुरक्षाकरण के एक कारक के रूप में भूमिका निभाने का सबसे हालिया उदाहरण पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर में देखने को मिला है. साल 2023 के मई से इम्फाल घाटी (जातीय तौर पर मुख्यतया मैतेई) स्थित मीडिया और पर्वतीय जिलों (जातीय तौर पर मुख्यतया कुकी/जोमी) में स्थित मीडिया जातीय आधार पर सुरक्षाकरण के आख्यान गढ़ने और प्रतिस्पर्धी को अस्तित्वगत खतरे के रूप में पेश करने के मामले में एक-दूसरे से होड़ करने में जुटे हैं.9

जो भी हो, ये राजनीति-कर्मी और उनकी राह हमवार करता मीडिया किसी मसले का सुरक्षाकरण करके किसी राजनीतिक और संरचनागत मसले को नीतिगत और सुरक्षा अभिशासन के मुद्दे में बदल देते हैं. सुरक्षा संबंधी मसले से सबसे अच्छे तरीके से निपटारा सुरक्षा-विशेषज्ञ और सुरक्षा-कार्य के अन्य अभिकरण जैसे पुलिस, सशस्त्र बल तथा इनकी सहयोगी एजेंसियां करती हैं.

इसी नाते, बांग्लादेशी अवैध आप्रवासियों से राष्ट्रीय नागरिक पंजी(नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स) हिरासत शिविर रजिस्टर के गणकों और दंड देने के लिए बने अन्य तंत्रों के जरिए निबटा जाना है जिसमें हिरासत शिविर स्थापित करना भी शामिल है.

रोहिंग्या आप्रवासियों को सख्त निगरानी वाले शिविरों में रखा जाता है और पुलिस के सहारे उन्हें निर्वासित भी किया जाता है. मैतेई-कुकी संघर्ष का मसला किसी दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जिम्मे दे दिया जाता है तो किसी दिन मणिपुर पुलिस कमांडो के हाथों में थमा दिया जाता है.11 मणिपुर में जातीय-संघर्ष के सुरक्षाकरण ने नागरिक-समाज को सुरक्षा के मसले पर इस हद तक लामबंद कर दिया है कि गैर-राजकीय सुरक्षाकर्मियों को अपने-अपने जातीय समुदायों की रक्षा के लिए हथियारबंद किया जा रहा है.12

इस प्रकार, किसी खास मसले को सुरक्षा के मुद्दे के रूप में गढ़ने और पेश करने में मीडिया की भूमिका यह जताती प्रतीत होती है कि उस मुद्दे के निपटारे के लिए एक खास तरह के ही समाधान मौजूद हैं और एक खास किस्म के विशेषज्ञों का समूह ही मुद्दे का निपटारा कर सकता है. अगर मसला एक जटिल, संरचनागत और मानवीय सरोकारों वाले मुद्दे के रूप में गढ़ा और पेश किया जाता तो इस मुद्दे के लिए अलग तरह के समाधानों, नजरियों और समाधान-कर्ताओं की गुंजाइश बनती. 13

सुरक्षा के मुद्दे के रूप में गढ़े और पेश किये जाने पर उस मसले के समाधान के लिए तकनीकी विशेषज्ञ और सुरक्षा-विशेषज्ञ सबसे उपयुक्त मान लिये जाते हैं. अक्सर सामाजिक उन्माद भड़काकर और मुद्दे को एक हथियार बनाकर सुरक्षा की मांग पैदा की जाती है. लेकिन मसले को वैकल्पिक रूप से भी पेश किया जा सकता है यानी मानवीय तथा सामाजिक तथा राजनीतिक रूप से जटिल मुद्दे के रूप में – बिना कोई भय और आशंका का माहौल पैदा किये-- और तब जरूरत राजनीतिक प्रक्रियाओं को आधार बनाते हुए जटिल, संरचनागत, सामाजिक-आर्थिक तथा मानवीय समाधानों की होगी.

पाकिस्तान से पैदा आतंकवाद और भारतीय राजनीति में नरेन्द्र मोदी का उदय सुरक्षा के पौरूषीकरण को देखने का एक अच्छा तरीका है.

नरेन्द्र मोदी के उदय को लेकर बना राजनीतिक विमर्श एक `मर्दाना` नेता की जरूरत पर केंद्रित था जिसके शासन करने की शैली से निपुणता, गतिशीलता और भारत की रक्षा के प्रति पूर्ण समर्पण की झलक मिलती हो और मीडिया ने इसका खूब प्रचार-प्रसार किया. उन्होंने खुद को मां भारती का पुजारी बताया और दावा किया कि उनके शरीर का एक-एक कण मां भारती को समर्पित है.14

साल 2014 के चुनाव-अभियान में उनके नेतृत्व की मर्दानगी पर ``56 इंच के सीने`` तथा इस दावे के जरिए जोर दिया गया कि वे ``मां भारती`` की सेवा में भारी से भारी बोझ उठाने में सक्षम और राजी हैं. यह मोदी की नेतृत्व-शैली को उनके पूर्ववती मनमोहन सिंह की नेतृत्व-शैली से अलग बताने का प्रयास था जिन्हें परोक्ष रूप से ``जनाना`` मिजाज का नेता बताया गया यानी एक ऐसा नेता जो पाकिस्तान और चीन जैसे बाहरी तथा अंदरूनी खतरों (`मुसलमान आतंकवादी`) का सामना करने में अक्षम था.16 मोदी की मर्दाना नेता की छवि को लोकप्रिय बनाने में मीडिया ने एक निर्णायक मगर अविवेकी भूमिका निभायी. 17

सुरक्षा का उग्र पौरूषीकरण मोदी के शासन-काल में जारी रहा है जिसके अंतर्गत जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण-रेखा के पार ``सर्जिकल स्ट्राइक`` करने की बात कही गई और मोदी का यह ऐलान सामने आया कि उन्होंने एक ऐसी शासन-व्यवस्था कायम की है जिसमें आतंकवादियों को उनके घर से बाहर घसीटकर मारा जाता है: "आज भारत डोसियर नहीं भेजता. आज भारत घर में घुस के मारता है."19

➔ छवि-निर्माण (56-इंच का सीना) तथा प्रदर्शनात्मकता (सर्जिकल स्ट्राइक और आतंकवादियों को घर में घुस के मारना), इन दोनों ही तरीकों के इस्तेमाल से मोदी-कृत सुरक्षा का पौरूषीकरण हुआ है.

➔ सुरक्षा के पौरूषीकरण के अध्येताओं20 ने ध्यान दिलाया है कि लैंगिक आधार पर बने परिवार के रूपक का विस्तार राष्ट्र तक करके भी ऐसा किया जा सकता है. (उदाहरण के लिए, भारत को मां भारती या भारतमाता के नाम से संबोधित करना). अध्येता बताते हैं कि लोक-लुभावन अन्य नेताओं की तरह मोदी भी `सुरक्षा की जरूरत वाले राष्ट्र की परिकल्पना एक ऐसे परिवार के रूप में करते हैं जिसकी रक्षा एक मर्द रक्षक द्वारा की जानी है`. परिवार के भावनात्मक पहलू का इस्तेमाल करते हुए: " हिफाजत की लफ्फाजी प्रेम, विश्वास, गर्व तथा एक दबंग मर्द के गुणों में गिने जाने वाले अनुशासन, बल और शक्ति को एकमेक कर देती है." साथ ही, " सीमा-पार से होने वाले आतंकवाद से हिफाजत में तत्पर एक मर्दाना राजसत्ता की मोदीकृत निर्मिति 9/11 की घटना के बाद के वैश्विक आतंकवाद-निरोधी विमर्शों से मेल में है जो आतंकवाद पर लगाम कसने के लिए एक मर्दाना राजसत्ता द्वारा उठाये गये पूर्व-निवारक सुरक्षा उपायों एवं नागरिक स्वतंत्रताओं के निलंबन को वैध ठहराते हैं."21

➔ भारतमाता के कर्तव्यपरायण पुत्र (ना कि पुत्री) के रूप में मोदी ना सिर्फ अपनी (भारत-) माता की रक्षा करते हैं बल्कि एक चौकीदार के रूप में राष्ट्र की भी पहरेदारी करते हैं. आमतौर पर चौकीदार की छवि एक ऐसे हथियारबंद व्यक्ति की है जिस अकेले पर ही घर और संपत्ति की रक्षा की जिम्मेदारी होती है और ऐसी छवि रक्षक मोदी के पौरूष की झलक देती है. 22. मोदी समर्थकों के इस घोष के साथ कि वे भी चौकीदार हैं, सुरक्षा के पौरूषीकरण को सार्वभौम बनाने की कोशिश की गई.

➔ लिंग-भेद पर आधारित परिवार तथा प्रेम, विश्वास, गर्व और ऐसे परिवार के प्रति जिम्मेदारी का भाव एकमेक हो जाते हैं और परिवार की रक्षा में तत्पर एक ऐसे मजबूत नेता की जरूरत को औचित्यपूर्ण बनाते हैं जो परिवार की हिफाजत के लिए अनुशासन, ताकत, हिंसा तथा बल-प्रयोग का

सहारा लेता है. नागरिकों से आग्रह और अपेक्षा की जाती है कि वे राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करते हुए इसका अनुपालन करेंगे.

➔ प्रधानमंत्री बनने के पहले ही मोदी ने `भारतमाता के प्रति कर्तव्य`23 की बात करते हुए ऐलान किया था कि " सिर्फ मोदी ही नहीं बल्कि हर नागरिक और बच्चे के ऊपर भारतमाता का कर्जा है ... अवसर आने पर इस कर्जे को चुकाना उनका कर्तव्य है. कोई डॉक्टर किसी की जान बचाकर भारतमाता कर्जा चुकाता है.. कोई शिक्षक यही काम पढ़ाकर करता है. हर किसी को यह कर्जा चुकाना है.. मुझे आशा है कि भारतमाता आशीर्वाद देंगी और कोई भी यह कर्जा चुकाये बगैर नहीं जायेगा." मोदी के प्रधानमंत्री बनते ही यह बहस मौलिक अधिकार बनाम राष्ट्र के प्रति एक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की बहस में बदल गई.

➔ मोदी बारंबार अधिकारों के ऊपर कर्तव्यों को तरजीह देने की बात कर हुए 24 जताते रहे हैं कि एक बार नागरिक अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने लगें तो अधिकारों की रक्षा स्वतः ही हो जायेगी : " सबके अधिकार हमारे कर्तव्यों में ही निहित हैं. अगर मैं एक शिक्षक के रूप में अपना कर्तव्य निभाता हूं तो क्या इससे छात्रों के अधिकारों की रक्षा नहीं हो जाती? ... तब अधिकारों और कर्तव्यों के बीच कोई झगड़ा नहीं रहेगा.

महात्मा गांधी कहा करते थे मूलभूत अधिकार नहीं होते है, मूलभूत तो कर्तव्य होते हैं

और अगर हम अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वाह करें तो फिर किसी को भी अपने अधिकारों के लिए कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारे अधिकारों की रक्षा इसी (कर्तव्य-निर्वहन) में हो जायेगी."25

निस्संदेह, `पहले कर्तव्य और अधिकार बाद में` की बात करने वाला यह तर्क सुरक्षाकरण का है. गौरतलब है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने वाला संविधान-संशोधन मसलों के सुरक्षाकरण में माहिर एक अन्य भारतीय राजनेता इंदिरागांधी के कार्यकाल में आपात्काल के दौरान हुआ था जब मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था.

• मौलिक कर्तव्यों की शुरुआत 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 के जरिये भारत के संविधान में अनुच्छेद 51-ए जोड़कर हुई थी.

• शुरूआत में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, ये कर्तव्य हैं : संविधान, राष्ट्री-ध्वज और राष्ट्र-गान का सम्मान करना; स्वतंत्रता संग्राम के महान आदर्शों को संजोए रखना ; भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को कायम रखना और उसकी रक्षा करना; देश की रक्षा करना और आह्वान किये जाने पर राष्ट्र को सेवा प्रदान करना; भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव और आम भाईचारे को बढ़ावा देना; राष्ट्र की मिलवां संस्कृति की समृद्ध विरासत की संरक्षा करना; प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और जीवित प्राणियों के प्रति दया दिखाना ; वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और जिज्ञासा और सुधार की भावना विकसित करना; सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और हिंसा का परित्याग करना; सभी व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना.

86 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 के माध्यम से एक और कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें माता-पिता और अभिभावकों से " छह से चौदह वर्ष की आयु की अपनी संतान या प्रतिपाल्य(जैसा भी मामला हो) को शिक्षा के अवसर प्रदान करने " का आह्वान किया गया.

जाहिर है, अधिकतर मौलिक कर्तव्य तत्कालीन समाजवादी सोवियत गणराज्य (यूएसएसआर) के संविधान में दर्ज नागरिक कर्तव्यों की "प्रतिकृति" थे. तत्कालीन कानून मंत्री एच.आर. गोखले ने दावा किया कि मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अध्याय देशवासियों के उस तबके से निपटने के लिए पेश किया गया है जो स्थापित विधि-व्यवस्था का सम्मान नहीं करता (यानी इंदिरा गांधी द्वारा किये गये मौलिक अधिकारों के निलंबन को नहीं मानता) और इसका उद्देश्य "उन बेचैन लोगों पर नकेल कसना है जिन्होंने कई राष्ट्र-विरोधी, विध्वंसक और असंवैधानिक आंदोलन किए हैं."27

इंदिरा गांधी राजनीति का पौरूषीकरण करने में तत्पर महिला का एक उत्कृष्ट उदाहरण हैं और आज भी मजबूत राज्य-व्यवस्था के हिमायती उनकी नेतृत्व-शैली खासकर जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद से निपटने के प्रयास और पाकिस्तान से बांग्लादेश बनाने के लिए उनकी प्रशंसा करते हैं.29

अब की तरह तब भी यही विचार काम कर रहा था कि आलोचना में उठी आवाजों को दबाया जाये और नागरिकों को एक मर्दवादी और सत्तावादी राज्य के सुरक्षा-विमर्श का समर्थक और पिछलग्गू बनाया जाये.

मोदी के सुरक्षाकरण के पुरुषवादी विमर्श का मीडिया ने भक्ति-भाव से प्रचार करके सुरक्षा की पितृसत्तात्मक धारणा को बढ़ावा दिया जहां एक दबंग रखवाला नागरिकों की उसी तरह रक्षा करता है जैसे एक परिवार का मर्द अपने अधीनस्थ महिलाओं और बच्चों की और इस तरह मीडिया ने नागरिकों को एक मर्दाना छवि वाले नेता की इच्छा के अधीन करके सत्तावादी राज्य के पितृसत्तावाद को वैधता प्रदान की तथा सुरक्षाकरण के नाम पर राज्य की शक्ति के दुरुपयोग को छिपाने में मदद की30 जैसे कि जम्मू-कश्मीर और मणिपुर में. नतीजतन, भारतीय संघ के भीतर जम्मू-कश्मीर की स्वायत्तता या भारत के पूर्वोत्तर के लोगों की इच्छाओं और आकांक्षाओं के लिए मीडिया पर हावी सुरक्षाकरण के परिप्रेक्ष्य में होने वाली बहसों में कोई जगह नहीं. ऐसी बातों को मीडिया जानते-बूझते भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा बताता है.

सुरक्षा के मसलों के एक मंच के रूप में मीडिया

बहरहाल, सुरक्षाकरण अब सिर्फ राज्य की सुरक्षा को उत्पन्न खतरों पर संकीर्ण रूप से केंद्रित ऐसा मसला भर नहीं रह गया है कि उसके बारे में सिर्फ सैन्य-समाधान अथवा राजनीतिक स्थिरता की दृष्टि से निपटारे की जरूरत को आधार मानकर सोचा जाये.

सुरक्षाकरण की आज मौजूद व्यापक अवधारणा में मानव सुरक्षा (खाद्य, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य, आदि), क्षेत्रीय सुरक्षा, सांस्कृतिक सुरक्षा और पहचान की सुरक्षा शामिल है. मीडिया ने सुरक्षाकरण की अवधारणा को व्यापक बनाने में भूमिका निभाई है और निभा रहा है ताकि तमाम तथाकथित खतरों को सुरक्षा खतरों के रूप में शामिल किया जा सके।31

★ इस कारण भारत में, जहां हिन्दू-धर्म बहुसंख्यक आबादी का धर्म है, मीडिया बहुसंख्यक हिन्दूवादी राजनीतिक दल के प्रचार को बढ़ावा देने में तनिक भी कोताही नहीं करता और इस तरह राजनीतिक दल को एक मंच मिल जाता है जहां वह तर्क दे सके कि-- 'हिंदू खतरे में हैं'32, '2050 तक (या ऐसी ही किसी तारीख तक) भारत एक मुसलमान-बहुल राज्य बन जाएगा'33, 'मुसलमानों ने हिंदू लड़कियों से शादी करके हिंदुओं के खिलाफ 'लव-जिहाद' शुरू कर दिया है'34 और 'ऐसे लोगों (जो राष्ट्र के लिए खतरा हैं) को उनके कपड़ों से पहचाना जा सकता है'35

★ ऐसे तर्कों को आनुपातिक रूप से ज्यादा न्यूज स्पेस और टीवी टाइम देकर, जहां विरोधी और वैकल्पिक विचारों की प्रस्तुति के लिए शायद ही कोई अवसर होता है, मीडिया ने भारत के मुसलमान नागरिकों को सामाजिक रूप से संदेहास्पद बनाने में मदद की है.36 मीडिया ने मुसलमान नागरिकों को एक खतरनाक `अन्य` और राष्ट्रीय सुरक्षा तथा भारतीय(अर्थात् हिन्दू) संस्कृति के लिए खतरा बताकर कलंकित करने में मददगार की भूमिका निभायी है.

तर्क दिया जा सकता है कि मीडिया अनजाने ही मसलों के सुरक्षाकरण की भूमिका निभा बैठता है–उसे अपनी इस मददगार भूमिका के परिणामों के बारे में पता नहीं होता.

मीडिया किसी मसले या समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करके, उसे एक ख़तरे के रूप में प्रस्तुत करके, उसके विविध पहलुओं और समस्या से निपटने की तत्काल जरूरत को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करके, एक "असाधारण माहौल" बनाने में योगदान देता है. दरअसल, यह नागरिकों का एक दर्शक-वर्ग तैयार करता है जिसे इस फैसले तक पहुंचने में सुभीता होती है कि सुरक्षा से संबंधित कोई मसला इस हदतक खतरनाक हो उठा है कि अब उसके समाधान के लिए असाधारण नीतियों और कार्रवाई की जरूरत है. इस प्रकार मीडिया एक आम सहमति बनाने में मददगार होता है कि राजनेता और सेना तथा पुलिस महकमे से लेकर आव्रजन अधिकारी तथा सीमा सुरक्षा-बल तक जो भी सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ हैं केवल वे ही हस्तक्षेप करके इस समस्या का सही समाधान ढूंढ़ सकते हैं. इस तरह, नागरिकों के सोच में हेरफेर करके, मीडिया सुरक्षाकरण के परिदृश्य की स्वीकार्यता को यों बढ़ाता है कि "विशेषज्ञों" को हस्तक्षेप करने के लिए नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों को निलंबित करने की जरूरत ही नहीं रह जाती.37

किसी मसले का सुरक्षा के मुद्दे के रूप मे प्रस्तुतीकरण, खासकर भारत के टीवी न्यूज में, जन-सामान्य के बीच बनती धारणा, मीडिया और सुरक्षाकरण के बीच घटित जटिल अंतर्सम्बंधों का वाचक है.

सैटेलाइट टीवी और इंटरनेट आधारित सोशल मीडिया के उभार ने समाचारों की प्रस्तुति और उसे ग्रहण करने के नए तौर-तरीके पैदा किये हैं, खासकर सुरक्षा-संकट के समय या फिर ऐसे वक्त जब राज्यसत्ता खुद ही किसी मसले का सुरक्षाकरण करना चाह रही हो.

मिसाल के लिए, 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों की लगातार हो रही लाइव रिपोर्टिंग की वजह से भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सुरक्षा अभियानों के "लापरवाह" लाइव प्रसारण के लिए भारतीय टेलीविजन मीडिया की आलोचना की और तर्क दिया कि इस तरह की कवरेज से सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा है।38

इससे इस धारणा को भी बल मिला कि भारत, पाकिस्तान के खिलाफ पर्याप्त जवाबी कार्रवाई करने में नाकाम रहा और यह धारणा तत्कालीन कांग्रेस सरकार की उस आलोचना का अभिन्न हिस्सा बन गई जिसमें कहा गया कि सरकार ने "राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ गड़बड़-झाला" किया. 39 ऐसे तर्कों से राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर नरेंद्र मोदी सरकार की आक्रामकता को औचित्य हासिल हुआ और उरी में सेना के शिविर40 पर आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ हुए 'सर्जिकल स्ट्राइक' तथा भारतीय सुरक्षाकर्मियों41 पर पुलवामा आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान के बालाकोट पर हुई बमबारी को वैधता मिली.

समाचारों के प्रस्तुतीकरण का एक और उदाहरण लीजिये जिसने एक मसले का सुरक्षाकरण करने में राज्य-सत्ता की मदद की.कोविड-19 महामारी के दौरान शहरों से गाँवों की ओर मज़दूरों का उलटा पलायन हुआ. टेलीविज़न ने मज़दूरों के उलटे पलायन की इस समस्या को कुछ इस तरह पेश करके मानो यह सामाजिक अशांति और जन-स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकती है, मसले के सुरक्षाकरण में अहम भूमिका निभाई. बेतरतीब ढंग से अपने गाँवों की ओर लौटते प्रवासियों के जीवंत(लाइव) दृश्यों के साथ हुए इस चित्रांकन से एक अनुशासनहीन जन-समूह पर अंकुश रखने के लिए लगाए गए सख्त लॉकडाउन के कदम को वैधता मिली. इन दृश्यों ने संकट से जुड़ी इस भावना को भड़काया कि अब समाधान के लिए राज्यसत्ता का तत्काल हस्तक्षेप की जरूरत है और इस तरह जन-स्वास्थ्य तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के सरोकारों के बीच जटिल अंतर्सम्बंधों का सेतु बना.42

★ ज़िम्मेदार रिपोर्टिंग की जगह नाटकीय वर्णन और चित्रण को प्राथमिकता देना और लाइव(जीवंत) दृश्यों की विकृत व्याख्या करना किसी मुद्दे को ख़तरे के रूप में देखने और इस प्रकार सुरक्षा का मुद्दा मानने लेने की लोगों की धारणा के निर्माण में भूमिका निभाती है. खबर पेश करते एंकर और बहस में हिस्सेदार बने वक्ताओं ने दृश्यों की पक्षपात-पूर्ण व्याख्या करके जम्मू-कश्मीर से जुड़े स्वायत्तता के मसले और मणिपुर की जातीय हिंसा के मसले के इर्द-गिर्द बने तनाव को और ज्यादा बढ़ावा. किसी दृष्टिकोण, खासकर राज्यसत्ता के दृष्टिकोण को जरूरत से ज्यादा पेश किया जाये तो इससे भ्रामक सूचना और हिंसा के प्रसार को बढ़ावा मिल सकता है और तब मीडिया की भूमिका को लेकर नैतिक सवाल उठ खड़े होंगे.

★ प्रिन्ट, टीवी और डिजिटल न्यूज प्लेटफार्मस् जैसे परंपरागत मीडिया ही विस्तार लेते सुरक्षा-परिदृश्य के मददगार नहीं कि इस परिदृश्य की बागडोर अपने हाथों में थाम रखने वाला सरकारी-तंत्र और विशेषज्ञ इसके भीतर अपनी मनमर्जी कर सकें. मीडिया के मंचों की तरफ कुछ और कारक भी आकर्षित होते हैं. ऐसे कारकों में अकादमिक जगत के सदस्य से लेकर, थिंक टैंक, स्वयंसेवी संगठन(एनजीओस्) तथा सामाजिक समूह तक शामिल हैं.43

★ भारत की मीडिया ने बीते डेढ़ दशक में खासतौर पर सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान के सुरक्षाकरण के लिए मंच मुहैया किया है. भारत ने इस डेढ़ दशक में यह भी देखा है कि कैसे व्हाट्सएप, फेसबुक तथा अन्य सोशल मीडिया44 मंच पर सक्रिय समूह मुसलमान, आतंकवाद, रोहिंग्या आप्रवासियों आदि

के बारे में गढ़े गये सुरक्षाकरण के आख्यानों को फैलाने और चारो तरफ गुंजायमान करने में मददगार हुये.

ऐसा नहीं है कि सुरक्षाकरण केवल धार्मिक, सांस्कृतिक या जातीय पहचानों तक ही सीमित हो. खाद्य और पर्यावरण जैसे मुद्दों को भी सुरक्षाकरण के दायरे में शामिल किया गया है. इन मुद्दों को मीडिया किस तरह प्रस्तुत करता है- यह अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी से तय होता है कि जनता और नीति निर्माता इस मुद्दे को कैसे समझते हैं और फिर कैसे समाधान करते हैं.

अगर मीडिया भोजन की कमी को केवल गरीबों या समाज के किसी खास तबके (जैसे कोविड-19 महामारी के दौरान प्रवासी) की समस्या के रूप में प्रस्तुत करता है तो राज्य द्वारा भोजन का मुफ्त वितरण, स्वयंसेवी संगठनों, जन-हितैषी दानदाता-संस्थाओं या नागरिकों के समूहों अथवा हिंदू मंदिरों और सिख गुरुद्वारों द्वारा संचालित मुफ्त सामुदायिक रसोई ऐसी समस्या का एक स्पष्ट समाधान प्रतीत होते हैं.

भारत में कोविड-19 महामारी के दौरान ऐसा देखने को मिला और इसके परिणामस्वरूप लगभग 80 करोड़ भारतीयों (देश की आबादी का लगभग 66%) को मुफ्त भोजन वितरित किया गया. इसे अब बढ़ा दिया गया है और यह अब 2029 तक जारी रहेगा.

भोजन की कमी जैसी समस्या का समाधान सुरक्षाकरण के जरिये करने पर इस मसले का राजनीतिकरण हो जाता है और भूख की कठिनाई झेल रहे लोग दान का विषय बनकर रह जाते हैं. हालाँकि, अगर भोजन के अभाव को स्वास्थ्य के अधिकार, भोजन के अधिकार और यहाँ तक कि आजीविका के अधिकार से जुड़े मुद्दे के रूप में देखा जाए तो फिर भूख की मुश्किल झेल रहे लोगों को तत्काल ही आबादी के एक ऐसे तबके के रूप में देखने की राह खुल जाती हैं जिनके अधिकारों का सम्मान , संरक्षण और राजनीतिक रूप से पूर्ति करना जरूरी है.

आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञापत्र में भोजन के अधिकार को कमोबेश इसी नजरिये से देखा गया है जिसे भारत ने 1979 में अपनाया.

अगर मीडिया भुखमरी की समस्या को सुरक्षाकरण के मुद्दे के रूप में पेश करने की जगह एक बहु-आयामी मसले के रूप में पेश करे तो शायद समाज गरीबी और भोजन के अभाव जैसी समस्या की बुनियादी वजह पर ध्यान देना शुरू कर दें.46 और तब समाधान राज्यसत्ता या किन्हीं व्यक्तियों के हाथो हासिल होने वाले दान जैसे नैतिक कर्मों में नहीं बल्कि संरचनागत और राजनीतिक परिवर्तनों के रूप में खोजे जायेंगे.47

अगर कोई पूछ ले कि क्या साल 2029 में, जब भारत की सरकार भोजन का मुफ्त वितरण करना बंद कर देगी, भुखमरी की समस्या खत्म हो जायेगी तो निशुल्क भोजन वितरण जैसी नीति की सीमा स्पष्ट ही उजागर हो जाती है.48

जब कोविड-19 महामारी फैली तो देश(भारत) ने देखा कि किस तरह स्वास्थ्य एवं कल्याण के मसले का सुरक्षाकरण किया गया और ऐसा करते हुए सरकारी "विशेषज्ञों" को अनुमति दी गई कि वे लोकतांत्रिक मानकों तथा अधिकारों की कमोबेश अनदेखी करते हुए दंडात्मक नीतियां लागू करें.49

महामारी को अंदरूनी सुरक्षा मसले के रूप में तब्दील करने के कारण सरकार के लिए ऐसी नीतियों को अमल में लाना संभव हुआ जिससे नागरिकों के जीवन पर अकस्मात और गंभीर किस्म के प्रतिबंध आयद हो जायें. सबसे कमज़ोर तबके के लोगों, खासकर अनिश्चित रोज़गार वाले और प्रवासी मज़दूरों ने रातोंरात अपनी आजीविका गंवा दी और लाखों की तादाद में वे अपने रोजी-रोजगार वाले शहरों से गांवों की तरफ पैदल निकल पड़े.

जिन लोगों को 'सुरक्षा के लिए ख़तरा' माना गया, उन्हें हिरासत में लिया गया और अलग-थलग कर दिया गया. ऐसा दिल्ली में तब्लीगी जमात के जलसे में भाग लेने आये लोगों के साथ हुआ50, जिसमें विदेश से आये मेहमान भी शामिल थे. जन-स्वास्थ्य के मसले के सुरक्षाकरण और जन-स्वास्थ्य की हो रही निगरानी के चलते राज्यों की सीमाएँ बंद कर दी गईं या फिर अंतर-राज्यीय आवा-गमन पर सख्त निगरानी बरती गई. इससे प्रवासी मज़दूरों को अपने ही गाँवों में जहाँ वे शहर के काम-धंधे के ठिकाने को छोड़कर सुरक्षा की तलाश में पहुंचे थे, किसी बहिष्कृत की सी दशा में रहना पड़ा.51

मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि सुरक्षाकरण की इस प्रक्रिया में मीडिया मददगार रहा. उसने सरकार के इस तर्क को ना सिर्फ स्वीकार किया बल्कि उचित भी ठहराया कि यह महामारी-जनित एक अपवाद की स्थिति है सो अधिकारियों के लिए जरूरी है कि वे लोकतांत्रिक मानकों और प्रक्रियाओं का अतिक्रमण करते हुए कदम उठायें. मीडिया के जिस तबके ने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाये या फिर महामारी से निपटने की सरकारी नीतियों की आलोचना की उसके विरूद्ध दंडात्मक कदम उठाये गये.

राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप के एक अध्ययन के अनुसार 23 मार्च से मई 2020 तक52 भारत में राष्ट्रीय कोरोनाबंदी के दौरान महामारी की रिपोर्टिंग या स्वास्थ्य नीतियों की आलोचना करने के एवज में लगभग 55 पत्रकारों को दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ा. 52 इनमें ज़्यादातर तो प्रदेशों में काम करने वाले स्वतंत्र पत्रकार थे. इनकी गिरफ्तारी हुई या इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, समन अथवा कारण बताओ नोटिस जारी हुये या इन्हें शारीरिक हमले, संपत्ति को नुकसान पहुँचाने की घटनाओं और धमकियों का सामना करना पड़ा.

संवाददाताओं पर फर्जी सूचना फैलाने, सरकारी अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने और लापरवाही भरे बरताव से एक खतरनाक बीमारी का संक्रमण फैलाने के आरोप लगे. हिन्दी अखबारी जगत के एक अग्रणी समूह, दैनिक भास्कर ग्रुप ने सरकार की कोविड-19 से संबंधित नीतियों की मीडिया में हुई आलोचनात्मक रिपोर्टिंग की अगुवाई करते हुए ऑक्सीजन की कमी से हो रही मौतों, अस्पतालों में बेडस् की कमी तथा महामारी के शिकार हजारों लोगों के शव गंगा में बहाये जाने की खबरें छापीं. इस मीडिया समूह ने आरोप लगाया कि छापी जा रही आलोचनात्मक खबरों के कारण 100 से ज्यादा टैक्स-इंस्पेक्टर (कर निरीक्षक) मध्यप्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र तथा दिल्ली स्थित उसके लगभग 30 कार्यालयों

पर छापेमारी के लिए भेजे गये.53 इन कठोर उपायों से दूसरों को एक डरावना संदेश पहुंचा कि वे राज्यसत्ता के सुरक्षाकरण तर्क पर बिना कोई सवाल उठाये उसका पालन करें.

एक और समस्या है--- जलवायु परिवर्तन, जिसका मीडिया के सहारे सुरक्षाकरण किया जा रहा है.54

इस बात का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि जलवायु परिवर्तन राष्ट्रों के बीच बड़े संघर्षों का कारण बनता है या नहीं. बहरहाल, जलवायु परिवर्तन जोखिम को कई गुणा बढ़ा सकता है क्योंकि क्योंकि इसका पानी , भोजन और ऊर्जा से संबंध है और यह स्थानीय स्तर पर घटित होने वाली आपदाओं, जबरिया विस्थापन और प्रवास तथा कई बार समुदायों के बीच हिंसक संघर्ष की वजह बन सकता है.55

अगर मीडिया अपने विश्लेषणात्मक बरताव में राज-काज के कर्ता-धर्ता, कारपोरेट तथा अभिजन-वर्ग के राजनीतिक एजेंडे और प्रभावित समुदायों, नागरिक-समाज के विशेषज्ञों तथा अन्य हितधारकों के एजेंडे के बीच फर्क ना करे तो ऐसे में सिर्फ सुरक्षा-कर्म के विमर्श को ही बढ़ावा मिलेगा. सार्वजनिक विमर्श के ऐसे माहौल में राजसत्ता और उससे जुड़ा अन्य शासकीय तबका सुरक्षा पर उत्पन्न खतरे से निपटारे के अनुकूल पड़ने वाले ही समाधान सुझाएगा.

जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए बनाई गई नीतियों को समझने या उन पर सवाल उठाने से मीडिया के इनकार से भारतीय राज्यसत्ता को स्पष्ट ही विरोधाभासी नीतियों को अपनाने का मौका मिला है. एक तरफ नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों 56 के उपयोग को बढ़ावा मिला है तो दूसरी तरफ कोयला आयात करके कोयला-आधारित ऊर्जा उत्पादन को भी. इन दोनों ही उपायों को ऊर्जा -सुरक्षा57 के संदर्भ में औचित्यपूर्ण बताया गया जबकि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और कोयला-आयात, इन दोनों ही काम में लगे क्रोनी कैपटलिस्ट(याराना पूंजीवाद के हमराही) एक से हैं.58 इसी तरह, शासकीय अधिकारियों ने महानगरों में 10 साल चल चुकी डीजल कारों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है59 लेकिन इन्हीं कारों को गैर-महानगरीय या ग्रामीण इलाकों में चलने की अनुमति दी गई है जबकि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का ऐसा (महानगरीय और ग्रामीण) कोई बंटवारा नहीं किया जा सकता.

यह स्पष्ट कर देना जरूरी है कि यहां एक सामान्य परिचय दिया जा रहा कि मीडिया किस तरह मसलों के सुरक्षाकरण की प्रक्रिया को सहज बनाता है. मीडिया का एक विस्तृत और प्रसंग-विशेषी अध्ययन जैसे कि राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मीडिया, अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं के मीडिया या मुख्यधारा के मीडिया और स्वतंत्र मीडिया में कार्यरत पत्रकारों के बरतावों के तुलनात्मक अध्ययन से यह तस्वीर और साफ हो सकती है और दोनों के बीच के अन्तर जाने जा सकते हैं.

मिसाल के लिए, कोविड-19 महामारी के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा अपनायी गई नीतियों की आलोचना करने वाले ज्यादातर स्वतंत्र पत्रकार थे और जिस अखबारी समूह ने कोविड से होने वाली मौतों और गंगा के किनारे मृतकों के निपटान के बारे में कई खुलासे किए, वह एक क्षेत्रीय हिंदी मीडिया समूह था.

बेशक, ऐसे पाठक भी हमेशा रहेंगे जो खबरों को आलोचनात्मक विवेक के साथ पढ़ते हैं और इस बात को लेकर आगाह रहते हैं कि मीडिया की अंतर्वस्तु का उपभोग भी एक विचाराधारात्मक बरताव है. लेकिन, इससे सुरक्षाकरण में मीडिया की समग्र भूमिका कम नहीं हो जाती.

मीडिया की सुरक्षा

मीडिया की सुरक्षा का मसला, मीडिया की भौतिक सुरक्षा से ज्यादा उसकी सत्यनिष्ठा की सुरक्षा का मामला है यानी यह पत्रकार की स्वतंत्रता और स्वायत्तता को उत्पन्न खतरों से बचाव का मसला है.

ऐसे खतरे जहां से पैदा होते हैं उसे इंगित करने के लिए अक्सर `मीडिया कैप्चर` (मीडिया पर कब्जा) शब्द का प्रयोग किया जाता है–एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें राज्यसत्ता या अन्य निहित स्वार्थ-समूह अपने अजेंडे को बढ़ावा देने के लिए मीडिया का भरपूर इस्तेमाल करने लगते हैं. 60

"कैप्चर्ड मीडिया" यानी कब्जाशुदा मीडिया का आशय ऐसे मीडिया से है जिसपर विचारधाराई तौर पर या तो राज्यसत्ता का नियंत्रण हो या जो विज्ञापनदाताओं के असर में हो अथवा जिसपर मालिकान का नियंत्रण हो–दूसरे शब्दों में कहें तो कब्जाशुदा मीडिया एक खास अजेंडे को बढ़ावा देने वाला होता है.61 विज्ञापनदाताओं, सरकारों, कॉरपोरेट्स और राजनीतिक दलों के साथ-साथ सामाजिक और राजनीतिक समूहों द्वारा अनुदान हासिल करने वाला कब्जाशुदा (कैप्चर्ड) मीडिया कमोबेश हर जगह मौजूद है

भारत में ऊपर बताये गये इन सभी तरीकों से मीडिया पर कब्जा जमाया जाता है. अखबारों और टीवी के समाचारों पर सरकारी-तंत्र का कब्जा तो खैर 2014 के बाद के वक्त में बड़ा जाहिर सा है– जो भी जी-हजूरी से इनकार करता है उसे इस नाफरमानी के नतीजे भुगतने होते हैं – पहुंच कम हो जाती है, सरकारी एजेंसियों के छापे पड़ते हैं और चूंकि सरकार अब भी सबसे बड़े विज्ञापनदाताओं में एक है तो सरकारी सरपरस्ती के हट जाने से राजस्व का भी नुकसान उठाना होता है.

विज्ञापनों62 के जरिये ही नहीं बल्कि अलग-अलग विधा-रूपों63 की मीडिया की सीधी खरीद के माध्यम से भी मीडिया पर कारपोरेट का कब्जा है क्योंकि क्रॉस-मीडिया होल्डिंग(एकाधिक मीडिया-माध्यमों की मल्कियत) पर कोई रोक नहीं है.64

कारपोरेट अधिग्रहण के कारण मीडिया का ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों ही रूपों में संकेंद्रण हुआ है (कोई एक कंपनी किसी एक मीडिया रूप के उत्पादन और वितरण के विभिन्न स्तरों पर काबिज हो जाये तो यह ऊर्ध्वाधर संकेंद्रण कहलाता है, जैसे किसी फिल्म स्टुडियो कंपनी का फिल्म के निर्माण और वितरण दोनों पर ही स्वामित्व. इसके उलट अगर कोई कंपनी उत्पादन या वितरण के किसी एक ही स्तर पर कई मीडिया परिसंपदाओं की मालिक होती है तो यह क्षैतिज संकेंद्रण कहलाता है, जैसे किसी केबल कंपनी का अलग-अलग टीवी नेटवर्कस् पर स्वामित्व). मालिकान का नियंत्रण भी बढ़ा है क्योंकि व्यापारियों, रियल एस्टेट कंपनियों, राजनेताओं और राजनीतिक दलों ने अपने एजेंडे को आगे

बढ़ाने और विभिन्न मुद्दों पर सार्वजनिक चर्चा को मनमाफिक शक्ल देने के लिए मीडिया में निवेश किया है.

परंपरागत और विरासती प्रिन्ट मीडिया/श्रव्य मीडिया/दृश्य मीडिया तथा डिजिटल मीडिया पर कब्जे की प्रक्रिया और उससे जुड़ा जोखिम अलग-अलग है.65

विरासती मीडिया-माध्यमों पर कब्जा अमूमन भारत के राजनीतिक अभिजन तबके से संबद्ध कारपोरेट घरानों (जैसे भारत के संदर्भ में अंबानी और अडाणी) के जरिये होता है और ऐसे में मीडिया माध्यमों पर वस्तुनिष्ठ राजनीतिक बहसों के लिए गुंजाइश नहीं रह जाती.

डिजिटल मीडिया

लेकिन इसके दूसरी तरफ डिजिटल मीडिया है जो असहमति और प्रतिरोध का मंच बन सकता है. इसमें प्रवेश की राह में बाधाएं कम हैं और इस नाते यह आसानी से फैल सकता और पकड़ में आने से बच सकता है. हालांकि, डिजिटल मीडिया में राजस्व-उगाही के मॉडल अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुए हैं इसलिए यह न केवल विज्ञापनदाताओं बल्कि गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन जैसे डिजिटल बिचौलियों के भी निशाने पर है.

मीडिया पर कब्जे से क्या होता है ?

मीडिया पर कब्जे की स्थिति में प्रकाशित या प्रसारित हो रही वस्तु स्वायत्त ना होकर विभिन्न निहित स्वार्थों के विशिष्ट एजेंडों के प्रभाव में होती है. ऐसे में नागरिकों के लिए यह जानना असंभव हो जाता है कि उनके अपने हित क्या है. इससे सूचना के मामले में असमानता बढ़ती है और संपादकीय तथा विज्ञापन के बीच खड़ी मर्यादा की दीवार टूट जाती है क्योंकि विज्ञापनदाताओं या धनदाताओं का प्रभाव बढ़ जाता है.

इस तरह देखें तो, कब्जाशुदा मीडिया गरीबों और समाज के हाशिए के लोगों की समस्याओं तथा दुर्दशाओं पर चर्चा एवं बहस में बाधक है. ऐसा मीडिया सत्ता को राजनीतिक और सुरक्षाकारक अभिजनों के हाथ का खिलौना बना देता है और कमजोर तबकों तथा लोगों को शक्तिहीन बनाता है.

मीडिया पर कब्जे की स्थिति को कई उपायों (जिन पर यहां विस्तृत चर्चा नहीं की गई है) के जरिये रोका जा सकता है-- जैसे कि क्रॉस-मीडिया स्वामित्व पर प्रतिबंध, मीडिया राजस्व के स्रोतों का विविधीकरण, वि-नियमन, मीडिया पर चंद घरानों की एकक्षत्र मिल्कियत को रोकने के लिए प्रतिस्पर्धा के कानून और सरकार के साथ एक सम्मानजनक दूरी बनाकर चलने वाले सार्वजनिक मीडिया को राजकीय सहायता.66

आखिर की बात यह कि एक मसला लोकतांत्रिक बहसों और जन-सामान्य के सोच पर पड़ रहे सोशल मीडिया के प्रभाव का भी है. सोशल मीडिया ने सत्ताधारियों को लोगों पर ऑनलाइन नज़र रखने का

एक असरदार साधन मुहैया किया है।67 इसका इस्तेमाल न केवल सरकारें वैकल्पिक दृष्टिकोणों को निशाना बनाने और असहमतियों को दबाने में कर सकती हैं बल्कि ताकतवर समूह भी इसके सहारे लोगों को सूचना के घेरे में फँसाकर उनकी राजनीतिक विश्वदृष्टि को संकुचित कर सकते हैं. सोशल मीडिया भ्रामक सूचना फैलाने में भी सक्षम है. इससे नागरिकों की सुचिन्तित राजनीतिक सोच-विचार की क्षमता कमजोर होती है. व्यक्तियों को लक्ष्य करके उनके राजनीतिक सोच-विचार में हेरफेर करने में भी सोशल मीडिया मददगार है और यह बात भारत में चुनाव प्रचार के दौरान देखने को मिली है.

मीडिया पर कब्जा और सोशल मीडिया के स्वार्थसाधक इस्तेमाल की प्रक्रिया फैसला लेने की ताकत को राज्यसत्ता तथा विशेषज्ञों के हाथों में केंद्रित करके मीडिया को सुरक्षाकरण का सहभागी बना देती है.

निष्कर्ष

- राज्यसत्ता के सुरक्षाकरण संबंधी नजरिये को अविवेकी ढंग से सुगम बनाने के कारण अंततः कुछ समय बाद मीडिया पर लोगों का विश्वास घटता है, समुदाय हाशिया पर चले जाते हैं और सामाजिक तनाव में इजाफा होता है. नीतियां पक्षपातपूर्ण होकर नागरिकों के बेहतर हितों के अनुकूल नहीं रह पातीं, ऐसी नीतियां आलोचना में उठी आवाजों और असहमतियों का दमन करती हैं और वस्तुनिष्ठ तथा निष्पक्ष रिपोर्टिंग के नैतिक मूल्यों की हानि होती है.68

- सुरक्षाकरण संबंधी नजरिये को असंगत तरीके से सुगम बनाते चले जाने की प्रवृत्ति का मुकाबला किया जा सकता है. शर्त यह है कि जिस मसले का सुरक्षाकरण किया जा रहा हो उसके प्रति एक ज्यादा जटिल और गझिन मीडिया-विमर्श को बढ़ावा दिया जाये.

- न्यूजरूम में, बीते वक्त के साथ पत्रकारीय कौशल में कमी आने के कारण ऐसा कर पाना लगभग असंभव हो चला है. भोजन, स्वास्थ्य, बीमारियों की रोकथाम, जलवायु-परिवर्तन, जबरिया प्रवासन आदि के विशेषज्ञ अब न्यूजरूम में नहीं मिलते. इन मसलों की विशेषज्ञता अब शोध-संस्थाओं, विश्वविद्यालयों तथा विशिष्ट मसलों पर काम कर रहे स्वयंसेवी संगठनों में मिलती है. विषय पर इनके हस्तक्षेप को मुख्यधारा के नीतिगत तथा सार्वजनिक विमर्श का हिस्सा बनाना होगा.

- ऐसा करने का एक संभव तरीका यह है कि मसले से जुड़े विभिन्न हितधारकों का एक नेटवर्क तैयार किया जाये जो वक्त-जरूरत साक्षात्कार देने, लेख लिखने और सुरक्षाकरण संबंधी चुनौतियों के बहुआयामी समाधान बताने के लिए टीवी पर आने को तत्पर हों.

- इस नेटवर्क को कुछ इस तरह तैयार किया जाना चाहिए कि वह विश्वविद्यालयों, शोध-संस्थानों तथा स्वयंसेवी संगठनों के दायरे में मौजूद विशेषज्ञता, ज्ञान तथा शोध को समेकित करके संपादकीय सामग्री तैयार करे जो सार्वजनिक-विमर्श में योगदान दे, सूचना-समृद्ध बनाये और इस तरह उसे एक शक्ल देने में मददगार हो. इस नेटवर्क को पूरी प्रतिबद्धता के साथ एक बेशकीमती संसाधन के रूप में काम करना होगा ताकि नीति-निर्माता, हितधारक तथा समुदाय-विशेष मसले से जुड़ी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जटिलताओं को समझें और प्रभावकारी समाधान की पहचान कर पायें.

- सुरक्षाकरण, जटिल राजनीतिक मसलों को सिकोड़कर सही नीतिगत नुस्खों और समाधान अपनाने के प्रश्न तक सीमित कर देता है. मीडिया ऐसे मसलों के जटिल और तहदार रूपांकन तथा शोध-कर्ताओं, विद्वानों और नागरिक समाज की मदद लेते हुए समाधान प्रस्तावित करके राजनीति-कर्मियों या राज्यसत्ता को असमानता के मसले को छिपाये रखने से रोक सकता है और इसकी जगह दान आधारित समाधान की पेशकश कर सकता है.

- अलग-अलग आकार के ये नेटवर्क हितधारकों और मीडिया के बीच संवाद-सेतु के रूप में देखे जा सकते हैं जो उन मुद्दों पर बेहतर जानकारी और बहुआयामी संवाद को सुगम बनाते हों जिनके जरिये राज्य-सत्ता या निहित स्वार्थी तत्व सुरक्षाकरण करना चाहते हैं.

- ये नेटवर्क भोजन के अधिकार, स्वास्थ्य और कल्याण, जलवायु परिवर्तन और उसके निहितार्थों सहित अन्य मुद्दों पर पत्रकारों को आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए मीडिया प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चला सकते हैं. इससे मसलों के सुरक्षाकरण के संदर्भ में राज्यसत्ता और राजनीतिक कर्ता-धर्ता द्वारा अपनाये जा रहे `एक ही समाधान` या फिर `विशेषज्ञों के ऊपर ही छोड़ दिया जाये तो ठीक` जैसी मानसिकता पर मीडिया को सवाल उठाने में सक्षम बनाने में मदद मिलेगी.

- जहां तक स्वयं मीडिया की सुरक्षा का प्रश्न है, पत्रकारों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय नीतियों में बदलाव करके तथा मीडिया के जरिये होने वाले संवाद को प्रतिबाधित और एकसार बनाने वाले कानूनों का विरोध करके एक खास व्यवस्था बनाने की जरूरत है.

लेखक: भारत भूषण कलकत्ता रिसर्च ग्रुप के सदस्य, एसोसिएट एडिटर और 360info के साऊथ एशिया एडिटर हैं. वे एक वरिष्ठ भारतीय पत्रकार, स्तंभकार और राज्यसभा टीवी के लिए विदेश मामलों पर आधारित पूर्व टेलीविज़न शो के होस्ट रह चुके हैं. भारत भूषण ने कैच न्यूज़ के संपादक, मेल टुडे के संस्थापक संपादक, हिंदुस्तान टाइम्स के कार्यकारी संपादक, दिल्ली में द टेलीग्राफ के संपादक, एक्सप्रेस-न्यूज़ सर्विस के संपादक, इंडियन एक्सप्रेस के वाशिंगटन संवाददाता और टाइम्स ऑफ़ इंडिया में सहायक संपादक के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं. वे 2024 में सीआरजी के "जस्टिस, सिक्युरिटी एंड वल्नरेबल पॉपुलेशन ऑफ साऊथ एशिया " पर केंद्रित शोध-कार्यक्रम से जुड़े. यह प्रकाशन इसी शोध-कार्यक्रम का एक हिस्सा है.

अनुवादक: जेपी युनिवर्सिटी,छपरा(बिहार) में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत डॉ. चन्दन श्रीवास्तव ग्रामीण संकट पर केन्द्रित देश के प्रथम वेब-भण्डारघर इन्क्लूसिव मीडिया फॉर चेंज (सी.एस.डी.एस., दिल्ली की एक परियोजना) के एक दशक तक सदस्य रहे हैं. आईआईएमसी से पत्रकारिता में पी.जी. डिप्लोमा तथा जेएनयू के भारतीय भाषा केन्द्र से पीएच.डी. करने के दौरान उन्होंने एनसीईआरटी की राजनीतिक विज्ञान की पुस्तकों के अतिरिक्त समाज विज्ञान की कुछ चर्चित पुस्तकों का अनुवाद किया है जिसमें इतिहासकार सब्यसाची भट्टाचार्य, संस्कृति-मनोविज्ञानी सुधीर कक्कड़, राजनीति विज्ञानी योगेन्द्र यादव तथा अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज की पुस्तकें शामिल हैं।

1. बैरी बुज़ान, ओले वेवर और जाप डी वाइल्ड,सिक्युरिटी. अ न्यू फ्रेमवर्क फॉर एनालिसिस, बोल्डर/लंदन, लिन रिएनर, 1998, पृष्ठ 24, 26, टैग्लियापिएत्रा द्वारा उद्धृत, देखें, उद्धृत स्रोत
2. थिएरी बाल्ज़ाक, सारा लियोनार्ड और जान रुज़िका, 'सिक्युराइटाइजेशन' रिविजिटेड: थियरी एंड केस, इंटरनेशनल रिलेशन्स, खंड 30,अंक 4. https://doi.org/10.1177/0047117815596590
3. क्लारा एरोखमानोफ़, सिक्युरिटाइजेशन थिएरी:ऐन इंट्रोडक्शन, 14 जनवरी,2018. https://www.e-ir.info/2018/01/14/securitisation-theory-an-introduction/
4. पूर्वोक्त
5. अल्बर्टो टैग्लियापिएत्रा,पूर्वोक्त
6. इल्लिगल माइग्रेशन फ्रॉम बांग्लादेश: डिपोर्टेशन, बॉर्डर फेन्सेज एंड वर्क परमिटस् , आईडीएसए मोनोग्राफ श्रृंखला संख्या 56 दिसंबर 2016. https://idsa.in/system/files/monograph/monograph56.pdf
7. द हिंदू, बांग्लादेशी माइग्रेन्टस् आर लाइक टरमाइटस्: अमित शाह, 22 सितंबर, 2018। https://www.thehindu.com/news/national/bangladeshi-migrants-are-like-termites- amit-shah/article25017064.ece. और, द वायर, इन बंगाल, अमित शाह वन्स अगेन ब्रिंग्स अप `इनफिल्टरेशन फ्रॉम बंगाल`, 24 अक्टूबर https://thewire.in/communalism/eyes-on-2026-west-bengal-elections-amit-shah- once-again-talks-of-infiltration-from-bangladesh
8. द हिंदू, रोहिंग्या ए थ्रेट टू सिक्युरिटी, से`ज बीजेपी, 18 अगस्त, 2022. https://www.thehindu.com/news/national/mha-in-the-right-on-rohingya- resettlment-plan-says-bjp-after-kerfuffle/article65779640.ece
9. एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया: रिपोर्ट ऑफ दि फैक्ट फाइंडिग मिशन ऑन मीडिया`स् रिपोर्टेज ऑफ एथनिक वायलेंस इन मणिपुर, 2 सितंबर, 2023। https://editorsguild.in/wp-content/uploads/2023/09/EGI-report-on-Manipur.pdf
10. नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स , असम सरकार, https://www.nrcassam.nic.in/wha_nrc.html
11. द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, सीआरपीएफ बटालियन्स टू रिप्लेस युनिट्स ऑफ असम राइफल्स इन वायलेंस-हिट मणिपुर, 10 सितंबर, 2024. https://shorturl.at/CrGou
12. द हिंदू, असम राइफल्स फाइल्स सेडिशन केस अगेन्स्ट इम्फाल सिविल सोसायटी ग्रुप , 22 जुलाई, 2023https://www.thehindu.com/news/national/assam-rifles-registers-case-
13. क्लारा एरोखमानॉफ़,पूर्वोक्त
14. पीएम मोदी कॉल्स हिमसेल्फ पुजारी ऑफ मा भारती,moneycontrol.com,https://www.facebook.com/watch/?v=110505720684911
15. साग्निक दत्ता एवम् ताहिर अब्बास, प्रोटेक्टिंग द पि`पल: पॉपुलिजम एंड मस्कुलाइन सिक्युरिटी इन इंडिया एंड हंगरी, जर्नल ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़, https://doi.org/10.1080/13569317.2024.2337181
16. संजय श्रीवास्तव, मोदी मस्कुलिनिटी: मीडिया, मैनहुड एंड "ट्रेडिशन्स इन ए टाइम ऑफ कंज्यूमरिज्म,टेलिविजन एंड न्यू मीडिया, https://doi.org/10.1177/1527476415575498
17. वही
18. इंडिया`ज `सर्जिकल स्ट्राइक इन कश्मीर': ट्रूथ ऑर इल्लूजन? bbc.com, 23 अक्टूबर 2016. https://www.bbc.com/news/world-asia-india-37702790
19. वी डोन्ट सेंड डोसियर ऑन टेरर;वी किल टेररिस्ट बाय इन्टरिंग देयर होम्स, द हिंदू, 30 अप्रैल, 2024, https://www.thehindu.com/elections/lok-sabha/we-dont- send-dossiers-on-terror-we-kill-terrorists-by-entering-their-homes-pm- modi/article68124858.ece
20. साग्निक दत्ता एवं ताहिर अब्बास, पूर्वोक्त
21. वही
22. वही
23. ऑफ्टर पीएम पॉजर, मोदी टॉक्स् ऑफ` मदर इंडिया`, इंडियन एक्सप्रेस, 5 अप्रैल, 2013. https://indianexpress.com/article/cities/ahmedabad/after-pm-poser-modi-talks- of-mother-india/

24. फाइव टाइम्स पीएम मोदी एम्फेसाइज्ड ऑन ड्यूटिज,अपूर्व मंधानी। द प्रिंट, 9 सितंबर, 2022। https://theprint.in/india/five-times-pm-modi-emphasised-on-duties/1122965/
25. परीक्षा पे चर्चा: एवरबॉडीज् राइस् एम्बेडेड इन ड्यूटिज,पीएम मोदी टू स्टूडेन्ट सुकृता बरुआ, द इंडियन एक्सप्रेस, 21 जनवरी, 2020 https://indianexpress.com/article/education/pariksha-pe-charcha-everybodys-rights-embedded-in-duties-pm-modi-to-students-6226926/
26. फंडामेंडल ड्यूटिज दैट पीएम मोदी इन्वोक्स वेयर इंट्रोड्यूस्ड बाय इंदिरा गांधी ड्यूरिंग इमर्जेंसी, अपूर्व मंधानी, द प्रिंट, 27 दिसंबर, 2019। https://theprint.in/india/fundamental-duties-that-pm-modi-invokes-were-introduced-by-indira-gandhi-during-emergency/341221/
27. वही
28. आरएसएस प्रेजेज इंदिरा गांधी फॉर टफ स्टैंड अगेन्स्ट टेरर , एनडीटीवी, 7 अप्रैल, 2012. https://www.ndtv.com/india-news/rss-praises-indira-gandhi-for-tough-stand- against-terror-475530
29. सुदर्शन स्लैम्स् नेहरू, प्रेजेज इंदिरा, बिजनेस स्टैंडर्ड, 6 फरवरी 2013. https://www.business-standard.com/article/economy-policy/sudarshan-slams-nehru-praises-indira-105062001055_1.html
30. साग्निक दत्ता एवं ताहिर अब्बास, पूर्वोक्त.
31. क्लारा एरोखमानॉफ़, पूर्वोक्त.
32. मिसाल के लिए, देखें, पूजा जॉर्ज और वेदिका इनामदार, मेनस्ट्रीम न्यूज मीडिया एंड मेजोरेटेरियन वायलेंस इन इंडिया द पोलिस प्रोजेक्ट, 9 दिसंबर और 2021, और द वाशिंगटन पोस्ट, इसाइड द वास्ट डिजिटल कंपेन बाय हिन्दू नेशनलिस्ट टू इन्फ्लेम इंडिया , 26 सितंबर, 2023. https://www.washingtonpost.com/world/2023/09/26/hindu-nationalist-social-media-hate-campaign/
33. न्यूज़क्लिक, "नो, इंडिया विल नॉट बिकम 'मुस्लिम राष्ट्र'", 30 अक्टूबर, 2021. https://www.newsclick.in/No-India-Will-not-Become-Muslim-Rashtra
34. एंड्रिया मालजी और सैयद तहसीन रज़ा, द सिक्युरिटाइजेशन ऑफ लव-जेहाद, रेलिजिन्स 2021, 12(12), 1074. https://doi.org/10.3390/rel12121074
35. इकोनॉमिक टाइम्स, दोज इनडल्जिंग इन ऑरसन कैन बी आयेडेन्टिफायड बाय देयर क्लॉदेज': नरेन्द्र मोदी ऑन एंटी-सीएए प्रोटेस्ट, 15 दिसंबर, 2019। https://shorturl.at/xbruL
36. एम. मोहिबुल हक़ और अब्दुल्ला ख़ान, मैपिंग इस्लामोफ़ोबिया : द इंडियन मीडिया एन्वायर्नमेंट,इस्लामोफ़ोबिया स्टडीज़ जर्नल 2023. खंड 8(1):83-99. https://www.scienceopen.com/hosted-document?doi=10.13169/islastudj.8.1.0083
37. क्लारा एरोखमानॉफ़, पूर्वोक्त.
38. रेकलेस टीवी कवरेज ऑफ 26/11 ऑपरेशन पुट नेशनल सिक्युरिटी इन ज्योपार्डी: सुप्रीम कोर्ट, द टाइम्स ऑफ इंडिया, 30 अगस्त, 2012. https://timesofindia.indiatimes.com/india/Reckless-TV-coverage-of-26/11- operation-put-national-security-in-jeopardy-Supreme-Court/articleshow/15969434.cms
39. बिरयानी वाज सर्व्ड टू कसाब ऑफ्टर 26/11 मुंबई अटैक : जेपी नड्डा स्लैम्स् कांग्रेस, इंडिया टुडे, 16 नवंबर, 2024. https://www.indiatoday.in/elections/assembly/story/jp-nadda-slams-congress- ajmal-kasab-biryani-mumbai-attacks-maharashtra-elections-2634172-2024-11-15, और यूपीए गवर्नमेंट डिड नॉट टेक स्टेप्स दैट हैड टू बी टेकन ऑफ्टर 26/11 टेरर स्ट्राइक : निर्मला सीतारमण, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस, 14 मार्च, 2019, https://www.newindianexpress.com/nation/2019/Mar/14/upa-government-did- not-take-steps-that-had-to-be-taken-after-2611-terror-strike-nirmala-sitharaman- 1951047.html
40. उरी, सर्जिकल स्ट्राइक एंड इन्टरनेशनल रिलेशन्स्, मनोहर पर्रिकर इंस्टिट्यूट ऑफ डिफेंस स्ट्डीज एंड एनालाइसेज. https://idsa.demosl-03.rvsolutions.in/publisher/uri- surgical-strikes-and-international-reactions/

41. बालाकोट: इंडियन एयर स्ट्राइक टारगेट मिलिटेन्टस् इन पाकिस्तान, bbc.com, 26 फ़रवरी, 2019. https://www.bbc.com/news/world-asia-47366718
42. एस. इरुदया राजन, पी. शिवकुमार, आदित्य श्रीनिवासन, द कोविड-19 पैन्डेमिक एंड इंटरनल लेबर माइग्रेशन इन इंडिया : ए क्राइसिस ऑफ मोबिलिटी, द इंडियन जर्नल ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स (2020) 63:1021-1039. https://doi.org/10.1007/s41027-020-00293-8
43. क्लारा एरोखमानॉफ़, पूर्वोक्त.
44. फ्यूल्ड बाय सोशल मीडिया, कॉल्स फॉर वायलेंस अगेन्स्ट मुस्लिमस् रीच फीवर पिच इन इंडिया, पिपल वर्सेज बिग टेक, 22 फरवरी, 2022। https://peoplevsbig.tech/fueled-by-social-media-calls-for-violence-against-muslims-reach-fever-pitch-in-india/
45. इंटरनेशनल कोवेनेन्ट ऑन इकॉनॉमिक्स, सोशल एंड कल्चरल राइटस्, 16 दिसंबर 1966 को महासभा के प्रस्ताव 2200A (XXI) द्वारा अपनाया गया. https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights। और, रेटिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइटस् ट्रीटिज-- इंडिया.। http://hrlibrary.umn.edu/research/ratification-india.html
46. क्लेयर केरिन्स, सिनैड फ्यूरी, पैराइक केरिगन, एओधीन मैककार्टन, कोलेट केली, ऐलेना वॉन, न्यूज मीडिया फ्रेमिंग ऑफ फूड पॉवर्टी एंड इन्सिक्युरिटी इन हाई इनकम कंट्रीज: ए रैपिड रिव्यू, हेल्थ प्रमोशन इंटरनेशनल, वॉल्यूम 38, अंक 6, दिसंबर 2023, डीएएडी 188, https://doi.org/10.1093/heapro/daad188
47. वही
48. फ्री फूडग्रेन्स फॉर 81.35 करोड़ बेनेफिशियरिज फॉर फाइव इयर्स: कैबिनेट डिसिजन, पत्र सूचना कार्यालय, भारत सरकार, 29 नवंबर, 2023. https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1980689
49. राहुल मुखर्जी, कोविड वर्सेज डेमोक्रेसी: इंडियाज् इल्लिबरल रेमेडी, जर्नल ऑफ़ डेमोक्रेसी, खंड 31, अंक 4, अक्टूबर 2020, पृष्ठ 107-191-105. https://www.uni-heidelberg.de/md/sai/pol/iodine_rm_covid.pdf
50. तब्लीगी जमात: द ग्रुप ब्लेम्ड फॉर न्यू कोविड-19 आउटब्रेक इन इंडिया, bbc.com, 2 अप्रैल, 2020. https://www.bbc.com/news/world-asia-india-52131338
51. रणबीर समद्दार (संपा.), बॉर्डर्स ऑफ ऐन एपिडेमिक: कोविड-19 एंड माइग्रेन्ट वर्कर्स, कलकत्ता रिसर्च ग्रुप, कोलकाता, 2020 https://www.policefoundationindia.org/images/resources/pdf/COVID-19_migrant_workers.pdf
52. इंडिया: मीडियाज् क्रैकडाऊन ड्यूरिंग कोविड-19 लॉकडाउन , राइटस् एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप, 15 जून, 2020. http://www.rightsrisks.org/banner/india-medias-crackdown-during-covid-19-lockdown-2/
53. टैक्स रेडस् टारगेट इंडियन पेपर दैट क्रिटिसाइज्ड गवर्नमेंट ओवर कोविड , द गार्जियन, 22 जुलाई, 2021. https://www.theguardian.com/world/2021/jul/22/tax- raids-target-indian-paper-criticised-government-covid-dainik-bhaskar
54. माइक एस. शेफ़र, जुर्गन शेफ़ान और लोगान पेनिकेट, सिक्युरिटाइजेशन ऑफ मीडिया रिपोर्टिंग ऑन क्लाइमेट चेंज ? ए क्रॉस-नेशनल एनालिसिस इन नाइन कंट्रीज, सिक्युरिटी डायलॉग, खंड 47, संख्या 1 (फ़रवरी 2016), पृष्ठ 76-96। https://www.jstor.org/stable/26293586
55. वही
56. "क्लीन एनर्जी नीड फॉर ऑवर": पीएम मोदी एप्लॉडस् इंडियाज पावरिंग प्रोग्रेस , एएनआई, 21 अक्टूबर, 2024 https://www.aninews.in/news/national/general-news/clean-energy-need-of-hour- pm-modi-applauds-indias-powering-progress20241021183509/
57 बिज़नेस स्टैंडर्ड, इंडिया एक्सटेन्डस् ऑपरेशन ऑफ इम्पोर्टेड कोल-बेस्ड पॉवर प्लान्टस् : सर्कुलर, 16 अक्टूबर, 2024.https://www.business-standard.com/industry/news/india-extends-operation-of-imported-coal-based-power-plants-circular-124101600515_1.html
58 अडानी ग्रीन एनर्जी बिकम्स इंडियाज फर्स्ट टू सरपास 10,000 मेगावाट रिन्युएबल एनर्जी. https://www.adanigreenenergy.com/newsroom/media-releases/adani-green-energy-becomes-

indias-first-to-surpass-10000-mw-renewable-energy.और कोलोसल थ्रीफोल्ड एक्सपैन्सन ऑफ कोल पॉवर ऐट कवाई प्रोपोज्ड बाय अडाणी, अडानी वॉच, https://www.adaniwatch.org/colossal_three_fold_expansion_of_coal_power_at_kawai_proposed_by_adani और साथ ही, कोल इम्पोर्टस् सर्ज : अडानी बुलिश अबाऊट कोल इन इंडिया, अडानी वॉच, https://www.adaniwatch.org/coal_imports_surge_adani_bullish_about_coal_in_india

59 द इकोनॉमिक टाइम्स, देल्ही रिज्यूम्स क्रैकडाऊन ऑन 10 ईयर ओल्ड डीजल, 15 ईयर ओल्ड पेट्रोल व्हीक्ल्स, 12 अक्टूबर, 2024। https://shorturl.at/uqCUt। और, इंडियन एक्सप्रेस, ह्वाट ए टोटल बैन ऑन डीजल ह्वीक्ल्स कुड मीन इन इंडिया, 11 मई, 2023। https://indianexpress.com/article/explained/explained-economics/total-ban-on-diesel-vehicles-india-impact-explained-8599373/

60 आन्या शिफरीन (संपा.), इन द सर्विस ऑफ पॉवर: कैप्चर एंड द थ्रेट टू डेमोक्रेसी , सेंटर फॉर इंटरनेशनल मीडिया असिस्टेंस. https://www.cima.ned.org/resource/service-power-media-capture-threat-democracy/

61 मिरेया मार्केज़-रामिरेज़, "मीडिया कैप्चर: द कन्सेप्चुअल चैलेंजेज फॉर स्टडिंग जर्नलिज्म इन ट्रांज़िशनल डेमोक्रेसीज़" , इस प्रविष्टी के लिए देखें ब्रूस मुत्स्वाइरो, सबा बेबावी और एडी बोर्गेस-रे द्वारा संपादित,द रूटलेज कम्पेनियन टू जर्नलिज्म 2024. https://www.academia.edu/113705311/Media_Capture_The_Conceptual_Challenges_for_Studying_Journalism_in_Transitional_Democracies

62 राजू नारिसेट्टी, हाऊ एडवर्टाइजिंग फ्येल्स मीडिया कैप्चर इन इंडिया, ग्लोबल इन्वेस्टिगेटिव नेटवर्क, 22 जुलाई, 2021. https://gijn.org/stories/how-advertising-fuels-media-capture-in-india/

63 आर श्रीनिवासन, द कारपोरेट टेकओवर ऑफ इंडिया`ज मीडिया , डाउन टू अर्थ, 6 मई, 2024. https://www.downtoearth.org.in/governance/the-corporate-takeover-of-india-s-media-95981

64 मनीषा पांडे, ह्वाट इज क्रॉस-मीडिया ओनरशिप? एंड डू वी नीड टू रेग्युलेट इट? न्यूज़ लॉन्ड्री, 21 जुलाई, 2014, https://www.newslaundry.com/2014/07/21/medias- criss-crossing-interests

65 आन्या शिफरीन, पूर्वोक्त

66 वही

67 कोस्टिका डुम्ब्रावा,की सोशल मीडिया रिस्क्स टू डेमोक्रेसी. रिस्क फ्रॉम सर्वेलियांस, पर्सोनालाइजेशन, डिसइन्फॉरमेशन, मॉडरेशन एंड माइक्रोटारगेटिंग, युरोपियन पार्लियामेंट्री रिसर्च सर्विस, दिसंबर 2021। https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2021/698845/EPRS_IDA(2021)698845_EN.pdf

68 रोल ऑफ इंडियन मीडिया इन नेशनल सिक्युरिटी, आईप्लीडर्स, 30 अगस्त, 2022। https://blog.ipleaders.in/role-of-indian-media-in-national-security- strategy/?form=MG0AV3; और साथ ही, अखिलेश द्विवेदी, आयुषी तिवारी, मीडिया रिप्रेजेन्टेशन ऑफ सिक्युरिटी थ्रेटस् इन इंडिया: ए क्रिटिकल एनालिसिस, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ क्रिएटिव रिसर्च थॉट्स, खंड 11, अंक 8, अगस्त 2023, https://ijcrt.org/papers/IJCRT2308683.pdf?form=MG0AV3